



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012020-215844
CG-DL-E-31012020-215844

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]
No. 450]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2020/माघ 11, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2020/MAGHA 11, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी 2020

का.आ. 484(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2019 की कंपनी अपील संख्या 228 और 229 के साथ 2019 की कंपनी अपील संख्या 227 पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के दिनांक 8 जनवरी, 2020 के आदेश के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) की इंदौर न्यायपीठ के परिसंचालन होने तक मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार का प्रयोग एनसीएलएटी की अहमदाबाद न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा की जाएगी।

[फा. सं. ए-45011/44/2018-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

S.O. 484(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in pursuance of Order of Hon'ble National Company Law

Appellate Tribunal (NCLAT) dated 8th January, 2020 in Company Appeal No. 227 of 2019 with Company Appeal No. 228 and 229 of 2019, the Central Government hereby notifies that jurisdiction of State of Madhya Pradesh will be exercised by Ahmedabad Bench of National Company Law Tribunal (NCLT) till the operationalization of Indore Bench of NCLT, which will be notified by the Central Government by a subsequent notification.

[F. No. A-45011/44/2018-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.